क्यूमेल/अतिआवश्यक/आजही

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-2 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

डीजी-परिपत्र संख्या- 32 /2024 दिनाँकःलखनऊःजुलाई 24, 2024

सेवा में,

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-डीजी-चार- 106(370)/79 दिनाँकः 12-05-2004, 24-03-2005, 20-07-2007, 09-08-2011, एवं 07-01-2016 तथा शासनादेश संख्या-4/2018/1768/6-पु-1-18-135/2013 दिनाँकः11-05-2018, व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः 35/2019, दिनांकः 07.08.2019, शासनादेश संख्याः 1146/6-पु-1-21-135/2013, दिनांकः 12.07.2021 के क्रम में निर्देश पत्र संख्याः डीजी-चार-101(13) 2013 (प्रस्ताव) दिनांकः 13.07.2021 एवं परिपत्र संख्याः 02/2022 दिनांकः 07.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा थानाध्यक्ष पद पर निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की नियुक्ति हेतु मापदण्ड/ अर्हताएँ, जनपदीय तैनाती हेतु आयु सीमा के बारे में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न शासनादेशों एवं मुख्यालय स्तर से प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों की तैनाती के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों का जनपद स्तर पर सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों के क्रम में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनाती हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

1-थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की अर्हता/मापदण्ड।

(1) ऐसे उपनिरीक्षक, जिन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण को छोड़कर उपनिरीक्षक के पद पर तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु अर्ह होंगे।
(2) निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक की थानाध्यक्ष पद पर तैनाती की आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की जाती है। इससे अधिक आयु के निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का थानाध्यक्ष पद पर तैनात नहीं किया जायेगा।
(3) पिछले 05 वर्षों में उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोका न गया हो ।
(4) पिछले 03 वर्षों में गम्भीर प्रकृति के दण्ड या प्रतिकूल मन्तव्य न प्रदान किए गए हों।

2-प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर अनुमोदन/तैनाती की प्रक्रिया।

शासनादेश संख्या:4/2018/1768/6-पु-1-18-135/2013, दिनांक: 11.05.2018 में निहित व्यवस्था निम्नवत 04 बिन्दु है:-

(1) प्रदेश के दो तिहाई थाने जो निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिये चिन्हित हैं, उनमें केवल निरीक्षक स्तर के ही योग्य अधिकारियों की तैनाती की जायेगी तथा उप निरीक्षक स्तर के किसी अधिकारी को इन थानों के थाना प्रभारियों के रूप में तैनात नहीं किया जायेगा।

(2) प्रदेश के जो एक तिहाई थाने पूर्व में उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किये जाने हेतु चिन्हित किये गये थे उनमें योग्य निरीक्षकों की भी तैनाती की जा सकती है। इन थानों पर दक्ष, सशक्त एवं उपयुक्त उप निरीक्षकों की भी तैनाती पर विचारण किया जा सकेगा, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले उप निरीक्षकों का मनोबल बढ़ाया जा सके तथा अन्य उप निरीक्षक स्तरीय अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके।

(3) यदि किसी थाने पर एक से अधिक निरीक्षकों की तैनाती की जाती है तो यह ध्यान रखा जायेगा कि वरिष्ठतम अधिकारी को ही प्रभारी निरीक्षक बनाया जाय।

(4) किसी भी थाने में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को थाना प्रभारी बनाये जाने की दशा में निरीक्षक स्तर के अधिकारी की तैनाती उसके अधीनस्थ न की जाय।

शासनादेश संख्या:1146/6-पु-1-21-135/2013, दिनांक: 12.07.2021 में निहित व्यवस्था निम्नवत 03 बिन्दु है:-(शासनादेश संख्या:4/2018/1768/6-पु-1-18-135/2013, दिनांक: 11.05.2018 में निहित व्यवस्था में संशोधन)

(1) निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर की जायेगी। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों/ उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्रू अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।

(2) उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो दो तिहाई थानों में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नही है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उप निरीक्षकों की तैनाती की जा सकती है।

(3) उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

3.जनपद हेतुः-

(a) जनपद प्रभारी उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले समस्त उपनिरीक्षक/निरीक्षक की अलग-अलग सूची उनके सेवा विवरण के साथ वरिष्ठताक्रम में अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने स्तर पर इस सूची की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से विचार विमर्श के उपरान्त वरिष्ठता के क्रम में थानाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची का अनुमोदन करेंगे। इसी अनुमोदित सूची के उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची में से थानाध्यक्ष पद पर तैनाती उनकी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी।

(b) जनपदों से प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पर तैनाती हेतु अनुमोदन के लिए प्राप्त सूची को 07 दिवस के अन्दर अनिवार्यरूप से अनुमोदित करते हुये संबंधित जनपद प्रभारी को प्रेषित करेंगे।

(c) अनुमोदित होने के पश्चात यदि कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि अथवा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्राप्त करता है तो संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उसे प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से तत्काल प्रत्यावर्तित करके उसकी सूचना परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/ को देंगे तथा संबंधित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को थानाध्यक्ष की अनुमोदित सूची से हटाने की कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा की जायेगी ।

(d) यदि किन्हीं अन्य कारणों से कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित किया जाता है तो कम से कम अगले 06 माह तक उसे पुनः थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यदि थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद से प्रत्यावर्तित कर्मी को पुनः किन्ही कारणों से 06 माह के पहले नियुक्त करना आवश्यक पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के संबंध में समस्त कारणों से परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को लिखित रूप में अवगत कराते हुये उनका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(e) परिक्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं माह जुलाई में इस सूची की समीक्षा की जायेगी। परिक्षेत्र के अन्दर स्थानान्तरित होने वाले अनुमोदित निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों के पुनः अनुमोदन की सामान्य तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके सेवा अभिलेखों की समीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों/पुलिस उपमहानिरीक्षकों द्वारा पहले की जा चुकी होगी ।

(f) जब भी कोई थानाध्यक्ष प्रत्यावर्तित किया जायेगा तो प्रत्यावर्तन के कारणों सहित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना भेजी जायेगी ।

(g) अनुमोदित सूची में से जनपद में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के क्रम में की जायेगी, यदि अनुमोदित सूची में से किसी कनिष्ठ कर्मी को थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात किया जाता है, तो वरिष्ठ कर्मी की अनुपयुक्तता का कारण एवं कनिष्ठ कर्मी की उपयुक्तता के कारण से पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को अवगत कराया जायेगा।

4.कमिश्नरेट हेतुः-

(a) पुलिस उप आयुक्त, मुख्यालय उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले समस्त उपनिरीक्षक/निरीक्षक की अलग-अलग सूची उनके सेवा विवरण के साथ वरिष्ठताक्रम में अपनी संस्तुति सहित **संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त-मुख्यालय** को प्रेषित करेंगे।

(b) प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची का अनुमोदन निम्नलिखित कमेटी द्वारा किया जायेगा :-
1-संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त-मुख्यालय।
2-पुलिस उप आयुक्त-मुख्यालय।
3-पुलिस उप आयुक्त (पुलिस आयुक्त द्वारा नामित)।

(c) उक्त कमेटी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु अनुमोदित सूची पुलिस आयुक्त को प्रेषित करेंगी। इस अनुमोदित सूची के निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती उनकी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पुलिस आयुक्त द्वारा की जायेगी।

(d) अनुमोदित होने के पश्चात् यदि कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि अथवा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्राप्त करता है तो सम्बन्धित अधिकारी/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस आयुक्त को दी जायेगी, जो प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से तत्काल प्रत्यावर्तित करेंगे।

(e) यदि किन्हीं अन्य कारणों से कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित किया जाता है तो कम से कम अगले 06 माह तक उसे पुनः प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यदि प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद से प्रत्यावर्तित कर्मी को पुनः किन्ही कारणों से 06 माह के पहले नियुक्त करना आवश्यक पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के संबंध में कारणों को पत्रावली पर स्पष्ट उल्लेख करके पुलिस आयुक्त द्वारा अंकित किया जायेगा।

(f) पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं माह जुलाई में इस सूची की समीक्षा की जायेगी। कमिश्नरेट के अन्दर स्थानान्तरित होने वाले अनुमोदित निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों के पुनः अनुमोदन की सामान्य तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके सेवा अभिलेखों की समीक्षा उक्त कमेटी द्वारा पहले की जा चुकी होगी।

5.सामान्य निर्देशः-

(1) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को थाना प्रभारी के पद पर 01 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(2) मुख्यालय स्तर से निर्गत पत्र संख्या-डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017/900, दिनॉक 22-06-2017 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। किन्तु अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को किसी जनपद में सम्बद्ध किया जाता है, तो उसे उस पुलिस कमिश्नरेट/जनपद में थाना प्रभारी के पद पर किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या-537/6-पु-1-10-71/92 दिनॉक 19-02-2010 के अनुसार पुलिस बल के कान्स0, हेड कान्स0, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की तैनाती दुबारा उन थानों एवं चौकियों पर नहीं की जाएगी, जहॉ पर वह पूर्व में तैनात रह चुके हैं।

(4) यह देखने में आया है कि कतिपय जनपद प्रभारियों द्वारा बिना पर्याप्त कारण के थाना प्रभारियों को हटा दिया जाता है, जो उचित नहीं है। अगर ठोस कारण बिना थाना प्रभारियों को बार-बार हटाया जाता है, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रतिकूल रूख अपनाया जायेगा।

(5) जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त आदेशों का अनुपालन अपने जोन/कमिश्नरेट के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे तथा जोन/कमिश्नरेट स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा कर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। अपने अधीनस्थ जनपदों में थानाध्यक्ष/ प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में संकलित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख को माइक्रोसाफ्ट EXCEL में ई-मेल आईडी-iglo-up@nic.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(6) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त मासिक सूचना प्रेषित करते समय इस आशय का प्रमाणपत्र भी इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कमिश्नरेट/जनपदों में अनुमोदित सूची के अतिरिक्त कोई कर्मी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनात नहीं है।

24.7.22

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(71)24(PARIPATRA-)